महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

(मिशन वात्सल्य)

हरियाणा राज्य में मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत बाल देखरेख गृहों को संचालित कर रही सरकारी/गैर/अर्ध–सरकारी संस्थाओं को वर्ष 2023–24 में सहायक अनुदान देने हेतु आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं।

1. सरकारी/गैर/अर्ध–सरकारी संस्थाये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) एवं संशोधित अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए तथा हरियाणा राज्य में पिछले 3 वर्षो से बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही हो ।

2. सरकारी/गैर/अर्ध–सरकारी संस्थायें के ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर विवरण होना चाहिए कि संस्था बिना किसी जाति, सिद्धांत, रंग, लिंग भेद एवं धर्म के भेदभाव के बिना कार्य करेंगी ।

3. संस्था बिना किसी लाभ के उद्देश्य से कार्यरत होनी चाहिए ।

इच्छुक संस्थायें आवेदन पत्र तथा सहायक अनुदान प्राप्त करने हेतू विस्तृत दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु विभाग की वेबसाईट **www.wcdhry.gov.in** पर देख सकते हैं । इच्छुक आवेदकों को सहायक अनुदान हेतू मिशन वात्सल्य की दिशानिर्देश स्वीकार करने होगें तथा वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं संशोधित अधिनियम, 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 एवं संशोधित आदर्श नियम, 2022 के अंतगर्त कार्य करेंगें। इच्छुक संस्थायें अपना सहायक अनुदान का आवेदन सभी सम्बन्धित दस्तावेज सहित अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में दिनांक **27-02-2023** की सांय 5.00 तक जमा क़रवायें। जिला कार्यक्रम अधिकारी सहायक अनुदान का प्रस्ताव उपायुक्त की सिफारिश सहित निदेशालय को भेजेगीं । अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

निदेशक –कम– सदस्य सचिव
(मिशन वात्सल्य)
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा,

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा,
बेज न0 15–20, पाकेट न0–II, सैक्टर–4, पंचकूला ।
दूरभाष न. 0172– 2560348

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT HARYANA

(Mission Vatsalya)

Applications are invited for the Grant in Aid for 2023-24 under Mission Vatsalya from Govt./Voluntary/Non Government Organizations running Child Care Institutions in Haryana

1. Govt./Voluntary/Non Government Organization should be registered under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, clause 41(1) & Amendment Act, 2021 and working in the field of Child Welfare in Haryana State for at least 3 years.
2. Memorandum of Association of Govt./Voluntary/Non Government Organization should specify that the Organization will work without any discrimination on the basis on caste, creed, color, Sex and religion.
3. It should be nonprofit organization.

Organizations willing to apply may visit www.wcdhry.gov.in for application form and detailed guidelines for Grant in aid willing NGOs will abide to utilize the Grant in aid as per the guidelines and to work as per the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 and Amendment Act, 2021 Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model rules, 2016 and Amendment Model rules, 2022 made their under. The application forms are to be submitted in the office of concerned District Programme Officer, Women and Child Development up to 27-02-2023 till 5.00 P.M. & District Programme Officer, WCD sent proposal of Grant In Aid with the recommendation of the concerned Deputy Commissioner to the Head Quarter of WCD Haryana Panchkula. No form will be entertained after due date/time.

Director- cum -Member Secretary,
(Mission Vatsalya)
Women and child development department, Haryana.

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENTHARYANA
Bays No 15-20, Sector -4, pocket- II, Sector-4, Panchkula
Phone No. 0172-2560348